



प्रभावित वन क्षेत्र के व्यपवर्तन हेतु अनुशंसा / अनुमोदन पत्र

राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक 86 सागर छतरपुर मार्ग के कि.मी. क्रमांक 88 से 130 तक किये जा रहे द्वि-रेखीय मार्ग के उन्नयन एवं निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि 9.7975 हे. भूमि विद्यमान मार्ग के चौड़ीकरण में प्रभावित हो रही है। विद्यमान मार्ग का ही चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसके व्यपवर्तन से वन/वन्य जीव प्रबंधन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, वन्य जीवों के रहवासों के विखण्डन की भी संभावना नगण्य है एवं प्रस्तावित मार्ग की ऊंचाई जमीन स्तर से ज्यादा ऊंचाई न होने के कारण वन्य प्राणियों के आवागमन में कोई विशेष बाधा नहीं पहुंचेगी।

अतः उपरोक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र 9.7975 हे. म0प्र0 सड़क विकास निगम सागर के पक्ष में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधि अनुरूप व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा सहित अनुमोदन किया जाता है।

वन संरक्षक
सा. वन मण्डल छतरपुर